



प्रेस नोट

दिनांक 10.01.2025

## 08 अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा, राठ व थाना जरिया से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित/जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

### जिलाबदर किये गये अपराधियों का विवरण:-

- 1.अभियुक्त- अजय राज सिंह उर्फ नातीराजा पुत्र पवन सिंह निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर, दिनांक 23.12.2024 से 06 माह।
- 2.अभियुक्त- रोहित सिंह यादव पुत्र स्व0 वीर सिंह सिंह यादव निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर, हॉल पता कस्बा व थाना कुरारा हमीरपुर, दिनांक 28.12.2024 से 06 माह।
- 3.अभियुक्त- नीरज पाल उर्फ लल्ली पुत्र लल्लू पाल निवासी पचखुरा बुजुर्ग थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर, दिनांक 26.12.2024 से 06 माह।
- 4.अभियुक्त- महेश पुत्र बिंदा श्रीवास निवासी ग्राम पलरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर, दिनांक 30.12.2024 से 06 माह।
- 5.अभियुक्त- नीरज यादव उर्फ गोली पुत्र लल्लू यादव निवासी ग्राम गुरदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर, दिनांक 27.12.2024 से 06 माह।
- 6.अभियुक्त- सुनील राजपूत पुत्र हरिसिंह निवासी ग्राम परा थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 26.12.2024 से 06 माह।
- 7.अभियुक्त- सतीश यादव पुत्र जयपाल यादव निवासी ग्राम कुरा थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 28.12.2024 से 06 माह।
- 8.अभियुक्त- आकाश पुत्र अनिल निवासी मु0 गुरुदेवपुरा कस्बा सरीला थाना जरिया जनपद हमीरपुर, दिनांक 30.12.2024 से 06 माह।